Neutral Citation

2021:CGHC:4437

AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय**,** बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक **465/2012**

दिनांक 02/02/2021 **को निर्णय सुरक्षित रखा गया।**

दिनांक 18/02/2021 को निर्णय उद्घोषित किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्रीमती देवंती उर्फ जामवंती दुबे पत्नी स्व. बलराम दुबे,
उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी- बी12, आदर्श नगर,
वार्ड नंबर 41, दुर्ग, थाना व पोस्ट ऑफिस-कसारीडीह,
तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ **........**अपीलार्थी**/**वादिनी

बनाम

1. गौतम उर्फ गणेश दत्त दुबे, पुत्र स्व. श्री बलराम दुबे,
उम्र-35 वर्ष,निवासी- बी12, आदर्श नगर, वार्ड नंबर 41,
दुर्ग, थाना व पोस्ट ऑफिस-कसारीडीह,
तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

2. अध्यक्ष, गृह निर्माण सहकारी समिति दुर्ग,
पोटियाकला, आदर्श नगर,वार्ड नंबर 41,
थाना व पोस्ट ऑफिस-कसारीडीह,
तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

3. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से,

थाना, पोस्ट ऑफिस, तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

.............उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से	-	श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में सुश्री दीप्ती यादव, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्र. 01 की ओर से	-	श्री सिद्धार्थ राठौर, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्र. 01 की ओर से	-	कोई नहीं ।
राज्य की ओर से	-	श्री रवि भगत, सहा. शासकीय अभिभाषक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

सी.ए.व्ही. निर्णय

1. अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त द्वितीय अपील को सुनवाई हेतु दिनांक 25/09/2013 को निम्नलिखित विधि के तीन सारभूत प्रश्नों को विरचित करते हुये स्वीकार किया गया :-

"1. क्या संविदा अधिनियम की धारा 19 के तहत तीन वर्ष के भीतर पंजीकृत वसीयत विलेख दिनांक 12.9.01, जो कि किसी चुनौती के

अभाव में अंतिम हो गया है, क्या अब इसे चुनौती दी जा सकती है ? क्या इस आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष है गलत है ?

2. क्या विवादित संपत्ति जिसे कि मृतक बलराम दुबे द्वारा खरीदा गया था, उसकी व्यावसायिक आय से है, इसलिए क्या कोई उक्त संपत्ति के वसियत द्वारा व्ययन पर सवाल उठा सकता है ?

3. क्या अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष जिसने कि विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उलट दिया, वह गलत है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[इसके पश्चात पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में उनकी स्थिति और दर्शित क्रम के अनुसार संदर्भित किया जाएगा]

2. यहां एकमात्र वादी/अपीलकर्ता ने स्वत्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि हालांकि वाद संपत्ति उसके पति बलराम दुबे ने प्रतिवादी नंबर 2 सोसाइटी से पंजीकृत विक्रय विलेख (एक्स. पी/1) द्वारा अपने बेटे के नाम पर खरीदी थी, जो उसकी पहली पत्नी फूलबदन अर्थात प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ उसके नाबालिग होने के दौरान विवाह से पैदा हुआ था, लेकिन उक्त संपत्ति उसके पति अर्थात बलराम दुबे की संपत्ति थी, जिसने दो गवाहों की उपस्थिति में उसके पक्ष में दिनांक 12/09/2001 की वसीयत (एक्स.

पी/4) की है, इसलिए उसके पक्ष में डिक्री दी जाए क्योंकि वह उसके पति बलराम दुबे द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत (एक्स. पी/4) के आधार पर उक्त वाद संपत्ति की स्वत्व धारक बन गई है और वाद संपत्ति के स्वत्व धारक के रूप में उसका नाम पंजीकृत करने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 सोसाइटी को उचित निर्देश दिया जाए।

3. वाद का विरोध करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि उसकी मां फूलबदन उसके पिता बलराम दुबे की विधिक रूप से विवाहित पत्नी थी, जबकि वादिनी उसके पिता बलराम दुबे की विधिक रूप से विवाहित पत्नी नहीं है और चूंकि वाद की संपत्ति उसके पिता की स्व-अर्जित संपत्ति थी, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 1 को वाद की संपत्ति उसके पिता की संपत्ति होने के कारण विरासत में मिली है, जिसमें वादिनी का कोई अधिकार अथवा स्वत्व नहीं है और इस तरह, वाद खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विचारण न्यायालय ने प्रकरण के अभिलेख में उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए, दिनांक 23/04/2011 को निर्णय व डिक्री द्वारा वाद का निपटारा किया, जिसमें कहा गया कि वाद संपत्ति बलराम दुबे की स्व-अर्जित संपत्ति थी और उन्होंने वादिनी के पक्ष में दिनांक 12/09/2001 को वसीयत (एक्स. पी/4) निष्पादित की थी और जिसके द्वारा वादिनी वाद संपत्ति की स्वत्व शीर्षक धारक बन गयी है।

5. अपील प्रस्तुत किए जाने पर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 1988 का अधिनियम) की धारा 4(1) पर भरोसा करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उलट दिया और कहा कि 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) में निहित रोक के मद्देनजर वादी द्वारा बेनामी की दलील उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और अपील को स्वीकार कर लिया और परिणामस्वरूप 25/08/2012 के विवादित निर्णय व डिक्री के तहत वाद को खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता/वादी द्वारा सि.प्र.सं. की धारा 100 के तहत यह दूसरी अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें विधि के तीन सारवान प्रश्न तैयार किए गए हैं और निर्णय के शुरुआती पैराग्राफ में निर्धारित किए गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलकर्ता/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि एक बार जब वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (सी) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुसार साबित हो गई तब वह अंतिम हो जाती है और वाद संपत्ति का बलराम दुबे की स्व-अर्जित संपत्ति होने के नाते 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) में निहित कथित रोक का भरोसा करके प्रथम विद्वान अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को पलट नहीं सकता था, ऐसे में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व डिक्री को खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय बहुत ही गूढ़ है एवं माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा **<u>संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी</u>**[1] के मामले में निर्णय को पलटने के लिए पारित विधि के सिद्धांतों का पालन किए बिना प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा चार पैराग्राफ में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री को पलट दिया गया, इसलिए इसे रद्द किया जाना उचित है।

7. उत्तरवादी/प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ राठौर ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 19/05/1988 से 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद, बेनामी की दलील को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय यह नहीं मान सकता था कि यद्यपि वाद संपत्ति कथित रूप से उसके पिता बलराम दुबे के द्वारा उसके नाबालिग होने के दौरान उसके नाम पर खरीदी गई है, फिर भी यह बलराम दुबे की संपत्ति है और उन्होंने वसीयत के माध्यम से वादी के पक्ष में उक्त वाद संपत्ति की वसीयत (एक्स. पी/4) की है चूंकि ऐसी दलील 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) में निहित रोक के अंतर्गत आती है, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सही रूप से नोटिस किया गया है और अपील को स्वीकार करके वादी के वाद को सही रूप से खारिज कर दिया गया है, ऐसे में, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए निष्कर्षों पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि वाद 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) द्वारा वर्जित है, ऐसे में, तत्काल अपील खारिज की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (2001) 3 SCC 179

8. प्रतिवादी क्रमांक 2 के संदर्भ में यद्यपि तामील हो चुकी है किंतु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं, तथापि, प्रतिवादी क्रमांक 3 राज्य एक औपचारिक पक्ष है।

9. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया।

10. बिक्री विलेख प्रदर्श पी/1 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि वादग्रस्त संपत्ति गौतम उर्फ गणेश दत्त दुबे/प्रतिवादी सं. 1 के नाम से उनके पिता बलराम दुबे द्वारा 31/05/1979 को खरीदी गई, उसके बाद बलराम दुबे की विधिक रूप से विवाहित पत्नी और प्रतिवादी क्रमांक 1 की मां फूलबदन की वर्ष 1984 में मृत्यु हो गई और यह भी विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष है कि वादिनी ने बलराम दुबे की पहली पत्नी फूलबदन की मृत्यु के बाद कभी भी उनसे कोई विवाह नहीं किया। बलराम दुबे की मृत्यु 03/07/1983 को हो गई और उसके बाद बलराम दुबे द्वारा छोड़ी गई वादग्रस्त संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। वादिनी ने 12/09/2001 के वसीयत विलेख (प्रदर्श पी/4) के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति पर स्वत्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा करते हुए दिनांक 06/02/2004 को वाद प्रस्तुत किया । विद्वान विचारण न्यायालय ने वादिनी के वाद को डिक्री किया, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) के आधार पर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उलट दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस स्तर पर, 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) पर ध्यान देना उचित होगा जो 19/05/1988 से लागू हुई और इसमें निम्नलिखित कहा गया है:-

"4. बेनामी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिषेध - (1) किसी बेनामी संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार को लागू करने के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके नाम पर वह संपत्ति रखी गई है या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कार्रवाई उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से नहीं की जाएगी जो ऐसी संपत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि आरंभिक शब्दों में स्पष्ट विधायी अभिप्राय है कि बेनामी रखी गई किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए ऐसा कोई दावा, वाद या कार्रवाई स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए जिस चीज पर रोक लगाई गई है, वह दावा करने के लिए वाद प्रस्तुत करना है, न कि इस बात पर कि कोई विशेष लेनदेन बेनामी है या नहीं, इसका अर्थ यह है कि यदि 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद किसी बेनामी लेनदेन के आधार पर किसी अधिकार, स्वत्व या हित का दावा करते हुए कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वह 1988 के अधिनियम के लागू होने से पहले किया गया हो या 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद. ऐसा वाद 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) में निहित प्रावधानों के आधार पर वर्जित होगा।

13. प्रश्न यह है कि क्या बलराम दुबे द्वारा अपने पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम से क्रय किए गए मकान को, अधिनियम 1988 की धारा 4(1) के अन्तर्गत वाद में दी गई दलील को छोड़कर, बेनामी कहा जा सकता है?

14. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **<u>श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड मदुरै बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास</u>**[2] के मामले में बेनामी का विधिक चरित्र और घटनाएं तथा बेनामी के दो वर्गों को निर्धारित किया गया था। यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "30.... इस संबंध में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 'बेनामी' शब्द का उपयोग दो प्रकार के लेन-देन को दर्शाने के लिए किया जाता है जो अपने विधिक चरित्र और घटनाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक अर्थ में, यह एक ऐसे लेन-देन को दर्शाता है जो वास्तविक है, उदाहरण के लिए, जब A, B को संपत्ति बेचता है लेकिन विक्रय विलेख में खरीदार के रूप में X का उल्लेख है। यहाँ विक्रय स्वयं वास्तविक है, लेकिन वास्तविक खरीदार B है, X उसका बेनामीदार है। लेन-देन का यह वह वर्ग है जिसे आम तौर पर बेनामी कहा जाता है। लेकिन 'बेनामी' शब्द का उपयोग कभी-कभी, शायद पूरी तरह से सटीक नहीं, एक दिखावटी लेन-देन को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है. उदाहरण के लिए, जब A अपनी संपत्ति B को बेचने का दावा करता है, बिना यह इरादा किए कि उसका स्वत्व समाप्त हो जाए या B को चला जाए। लेन-देन के इन दो वर्गों के बीच मूलभूत

2 AIR 1957 SC 49

अंतर यह है कि जहाँ पहले में एक सक्रिय हस्तांतरण होता है जिसके परिणामस्वरूप हस्तांतरिती में स्वत्व निहित होता है, वहीं दूसरे में ऐसा कुछ नहीं होता है, हस्तांतरणकर्ता हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के बावजूद स्वत्व को बनाए रखना जारी रखता है। केवल पहले वर्ग के मामलों में ही यह आवश्यक होगा कि जब इस बात पर विवाद उत्पन्न हो कि विलेख में नामित व्यक्ति वास्तविक हस्तान्तरिती है या B, तो इस प्रश्न की जांच की जाए कि हस्तान्तरण के लिए प्रतिफल का भुगतान किसने किया, X या B। लेकिन बाद के वर्ग के मामलों में, जब प्रश्न यह हो कि हस्तान्तरण वास्तविक है या फर्जी, तो निर्णय का बिन्दु यह नहीं होगा कि प्रतिफल का भुगतान किसने किया, बल्कि यह होगा कि क्या कोई प्रतिफल दिया गया था।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः **<u>भीम सिंह (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम कान सिंह</u>**[3] के मामले में भारत में दो प्रकार के बेनामी लेनदेन की पहचान की और उन्हें निम्नानुसार इंगित किया: -

"14.... भारत में आम तौर पर दो तरह के बेनामी लेन-देन को मान्यता दी जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने पैसे से लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदता है, बिना किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के इरादे से, तो लेन-देन को बेनामी कहा जाता है। उस मामले में, हस्तांतरिती उस व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति रखता है जिसने खरीद के पैसे का योगदान दिया है, और वह वास्तविक स्वामी

---

3 AIR 1980 SCC 727

है। दूसरा मामला जिसे मोटे तौर पर बेनामी लेन-देन कहा जाता है, वह ऐसा मामला है जहाँ एक व्यक्ति जो संपत्ति का मालिक है, वह किसी दूसरे के पक्ष में संपत्ति का स्वत्व हस्तांतरित करने के इरादे के बिना एक हस्तांतरण निष्पादित करता है। इस मामले में, हस्तांतरणकर्ता वास्तविक मालिक बना रहता है। ऊपर उल्लिखित दो तरह के बेनामी लेन-देन के बीच अंतर इस तथ्य में निहित है कि जबकि पहले मामले में हस्तांतरणकर्ता से हस्तांतरिती को एक ऑपरेटिव अंतरण होता है, हालाँकि हस्तांतरिती उस व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति रखता है जिसने खरीद के पैसे का योगदान दिया है, दूसरे मामले में, कोई ऑपरेटिव अंतरण नहीं होता है और हस्तांतरण के निष्पादन के बावजूद स्वत्व हस्तांतरणकर्ता के पास ही रहता है। हालाँकि, इन दोनों मामलों में एक सामान्य विशेषता यह है कि वास्तविक स्वत्व प्रकट स्वत्व से अलग है और वे अलग-अलग व्यक्तियों में निहित है। यह सवाल कि कोई लेन-देन बेनामी लेनदेन है या नहीं, मुख्य रूप से उस व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है जिसने पहले मामले में खरीद राशि का योगदान दिया है और दूसरे मामले में हस्तांतरण को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के इरादे पर। पहले मामले में अंतर्निहित सिद्धांत को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धारा 82 में भी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, जो यह प्रावधान करता है कि जहां संपत्ति किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए या प्रदान किए गए प्रतिफल के लिए हस्तांतरित की जाती है और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे अन्य व्यक्ति ने हस्तांतरिती के लाभ के लिए ऐसा प्रतिफल देने या प्रदान करने का इरादा नहीं किया था, तो हस्तांतरिती को प्रतिफल का भुगतान करने या प्रदान करने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति को धारण करना चाहिए।"

16. **भीम सिंह** (सुप्रा) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का पालन इस न्यायालय द्वारा **ओमप्रकाश दुबे बनाम कपूरी बाई व अन्य** [4] के मामले में भी किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यह प्रश्न कि क्या 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद प्रस्तुत किए गए वादों में प्रतिबंध लागू होगा, इस पर उच्चतम न्यायालय ने **दुवरू जया मोहन रेड्डी व अन्य बनाम अल्लूरु नामी रेड्डी व अन्य**[5] **1994 सप (**2) एससीसी 559, एआईआर 1994 एससी 1647 के मामले में विचार किया है और यह माना गया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) अधिनियम के प्रारंभ की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होगी और प्रावधान लंबित अपील पर लागू माने गए। **प्रबोध चंद्र घोष बनाम उर्मिला दासी**[6] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्ताव भी ऐसा ही है। इसके बाद **जी. महालिंगप्पा बनाम जीएम सवित्ता**[7] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) की प्रकृति और प्रयोज्यता पर पुनः विचार किया और माना कि 1988 का अधिनियम एक निश्चित सीमा तक को छोड़कर भविष्यवर्ती प्रभाव रखता है।

4 (2012) CGBLCJ (HC) 136

5 AIR 1994 SC 1647

6 AIR 2000 SC 2534

7 (2005) 6 SCC 441

18. आर. राजगोपाल रेड्डी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम पद्मिनी चंद्रशेखरन (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि[8] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 11 में स्पष्ट रूप से माना है कि 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) के लागू होने के बाद इस तरह की राहत पाने के लिए किसी भी न्यायालय में कोई वाद, दावा या कार्रवाई दायर करने या सुनने या स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने आगे निम्नानुसार मानाः -

> "इसके विपरीत, 'ऐसा कोई दावा, वाद या कार्रवाई नहीं की जाएगी' उक्त शब्दों से स्पष्ट विधायी मंशा देखी जाती है, जिसका अर्थ है कि धारा 4(1) के लागू होने के बाद ऐसी राहत प्राप्त करने के लिए किसी भी न्यायालय के पोर्टल पर ऐसा कोई वाद, दावा या कार्रवाई दायर करने या सुनने या स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

सर्वोच्च न्यायालय ने उसी पैराग्राफ में निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

> "इस संबंध में, यह दृष्टिकोण कि धारा 4(1) ऐसे लंबित वादों पर भी लागू होगी जो धारा के लागू होने की तिथि से पहले ही प्रस्तुत किए गए थे और उन पर विचार किया गया था और जिसका प्रभाव वादी की संपत्ति के संबंध में मौजूदा अधिकार को नष्ट करने का है, धारा 4(1) की स्पष्ट भाषा के सामने कायम नहीं रह सकता। यह कल्पना की जानी चाहिए कि विधायिका ने अपने विवेक से धारा 4 को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी नहीं बनाया है। फिर आवश्यक निहितार्थ से यह तात्पर्य निकालना कि धारा 4 का पूर्वव्यापी

8 (1995) 2 SCC 630

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रभाव होगा और धारा के लागू होने से पहले दायर लंबित वादों को शामिल करेगा, ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के बराबर होगा जो विधायी योजना और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों द्वारा प्रक्षेपित इरादे के विपरीत होगा जिसका हमने पहले उल्लेख किया है। हालांकि, यह सच है जैसा कि खंडपीठ ने माना है कि धारा 4(1) की स्पष्ट भाषा के अनुसार, बेनामी संपत्ति के संबंध में वास्तविक स्वामी के पास मौजूद कोई भी अधिकार धारा 4(1) के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएगा, भले ही ऐसा लेनदेन धारा 4(1) के लागू होने से पहले किया गया हो, और उसके बाद धारा 4(1) लागू होने पर ऐसे पिछले बेनामी लेनदेन के संबंध में कोई वाद नहीं चल सकता। इस सीमा तक यह धारा पूर्वव्यापी हो सकती है।"

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इसके बाद, **<u>जी. महालिंगप्पा</u> (सुप्रा) में, <u>आर. राजगोपाल रेड्डी</u>** मामले (सुप्रा) को मंजूरी दी गई।

20. उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वादिनी ने दावा किया है कि बलराम दुबे ने अपने बेटे अर्थात प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर वादग्रस्त घर खरीदा है, लेकिन उन्होंने (बलराम दुबे) प्रतिफल राशि का भुगतान किया और इसलिए, वे (बलराम दुबे) वाद संपत्ति के स्वामी और स्वत्व धारक थे और उन्होंने वादिनी के पक्ष में 12/09/2001 को वसीयत (एक्स. पी/4) को सही ढंग

से निष्पादित किया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे उलट दिया था। **भीम सिंह** (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के अनुसार, बलराम दुबे द्वारा अपने बेटे प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर खरीदी गई वाद संपत्ति बेनामी संपत्ति थी और प्रतिवादी क्रमांक 1 केवल बेनामीदार था, ऐसे में 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद वादिनी यह दावा करने की हकदार नहीं है कि वाद संपत्ति बलराम दुबे (प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता) की थी और प्रतिवादी क्रमांक 1 केवल बेनामीदार है, ऐसे में यह दलील 1988 के अधिनियम की धारा 4(1) द्वारा पूरी तरह से वर्जित है और ऐसे में वादिनी बलराम दुबे द्वारा निष्पादित वसीयत के बल पर वाद संपत्ति का दावा नहीं कर सकती है क्योंकि उक्त वसीयत दिनांक 12/9/2001 (एक्स-पी/4) उसे कोई स्वत्व प्रदान नहीं करती है और वह वसीयत के आधार पर स्वत्व की घोषणा के लिए डिक्री की हकदार नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. तत्काल द्वितीय अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा तदनुसार खारिज की जाती है। कोई व्यय नहीं।

22. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur